(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1740/दो/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 414/अपील/07-08.

अब्दुल रशीद पिता सुजात खां
निवासी ग्राम दौलताबाद, तहसील देपालपुर
हा.मु. सिरपुर बांक, तहसील व जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

मेमुनाबी बेबा नाहर खां
निवासी ग्राम दौलताबाद तहसील देपालपुर .....अनावेदक

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 30.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम दौलताबाद में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 292 रकबा 1.393 हैक्टेयर एवं सर्वे नंबर 357 रकबा 1.558 हैक्टेयर की भूमि नाहरखां पिता मोहम्मदखां के नाम पर स्थित थी। नाहरखां की मृत्यु दिनांक 16.11.2005 को हो गई। नाहरखां की पत्नी मेमुनाबी जीवित होकर उसकी कोई औलाद नहीं है। इनकी सेवाचाकरी एवं खेतीबाड़ी का काम इनका भानजा अब्दुल रशीद नाहरखां के समय से ही करता आ रहा है। नाहरखां की मृत्यु पश्चात् वसीयतनामा के आधार पर सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज कराने हेतु नायब तहसीलदार, देपालपुर के समक्ष आवेदन दिया, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 23/अ-6/06-07 दर्ज कर स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 31.12.2007 से उक्त भूमि पर सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज करने की अनुमति दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,

देपालपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दिनांक 28.06.2008 पारित किया जाकर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.09.2009 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदिका को अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही की पूर्ण जानकारी थी, उसके अभिभाषक के द्वारा आवेदक के साक्षियों का कूटपरीक्षण भी किया गया है तथा तत्पश्चात् दिनांक 26.11.2007 अनावेदिका के साक्ष्य हेतु पेशी तारीख नियत की गई थी, किंतु दिनांक 26.11.2007 अथवा उसके पश्चात् अनावेदिका अथवा उसके अभिभाषक ने प्रकरण में उपस्थित रहकर कोई भी कार्यवाही नहीं की। फलस्वरूप तहसीलदार के द्वारा दिनांक 31.12.2007 को आदेश पारित करते हुए वसीयत के आधार पर आवेदक का नाम अनावेदिका के साथ सहखातेदार के रूप में अंकित करना आदेशित किया। इस प्रकार अनावेदिका को संपूर्ण प्रकरण की जानकारी होते हुए भी, उसके द्वारा असत्य कथन करते हुए आदेश पारित किये जाने के साढे चार माह के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की थी, वह स्पष्ट रूप से समय बाधित होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनावेदिका का अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने बाबद् जो आदेश दिनांक 28.06.2008 को पारित किया गया है, वह निरस्ती योग्य होते हुए भी उसे यथावत् रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका के द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रकरण आवेदन में साढे चार माह पश्चात् अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई सद्भाविक आधार भी नहीं दर्शाया है। प्रश्नाधीन तहसील न्यायालय की कार्यवाही में अनावेदिका सहभागी हो चुकी थी। इस कारण उक्त कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी उसे प्राप्त थी। अत: तहसील आदेश दिनांक 31.12.2007 के पश्चात् समयावधि में अपील प्रस्तुत करने के लिए क्या कारण रहा है, इसका कोई भी उल्लेख न करते हुए उसके द्वारा असत्य आधारों पर प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

(3) अनावेदिका के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वह बुखार, उल्टी, दस्त से पीड़ित होकर कमजोर हुई होना दर्शाया है, किंतु उसके द्वारा उस संबंधी कोई चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इस कारण अनावेदिका का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन निरस्ती योग्य था। अपर आयुक्त ने इस महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिंदु पर कोई भी निष्कर्ष न देते हुए जो आदेश पारित किया है, वह निरस्ती योग्य है।

(4) तहसील न्यायालय के द्वारा विधिवत् साक्ष्य अंकित करने के पश्चात् अनावेदिका को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत, विधि अनुकूल कार्यवाही करते हुए आवेदक का नामांतरण स्वीकार किये जाने बाबद आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका के द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से समयबाधित होते हुए भी उक्त अपील को समयावधि में होना मानकर कार्यवाही किये जाने बाबद् जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किये हैं, वह निरस्ती के योग्य हैं।

(5) अपर आयुक्त का निर्णय अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्यों के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्ती योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा वसीयतनामा की मूल प्रति इस प्रकरण के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है तथा वसीयतनामा में भी स्पष्ट लिखा है कि भूमि पर स्वत्व अनावेदिका का ही रहेगा। अतः उक्त वसीयतनामा से विवादित कृषि भूमि पर आवेदक के किसी भी प्रकार के स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, जिसे निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। समयसीमा तथा गुण-दोष पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के निष्कर्ष विधिवत एवं उचित है तथा समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2009 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2008 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर